लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
E-Mail- additionaldirector10@gmail.com

क्र./पी.ए./अपर संचालक/वि.सेल/अ.प्रको/2018/91   भोपाल, दिनॉक 24/09/2018

प्रति,

1. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक**
   लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,**
   (मण्डला डिण्डौरी, अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

विषय–म0प्र0 राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग),सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के तहत अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला स्तरीय पात्रता समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया ।

संदर्भ –म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/एफ–1–59/2018/20–1 दिनांक 10.08.2018 एवं लोक शिक्षण संचालनालय,म0प्र0 का पत्र कमांक/शि0क0/वि0शे0/ए/1/2018/07 दिनांक 21.08.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में वर्तमान में म0प्र0 राज्य स्कूल सेवा (शैक्षणिक संवर्ग),सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुसंगत समकक्ष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है।

भर्ती नियम, 2018 के नियम 5(2) एवं अनुसूची–एक के अनुसार सहायक अध्यापकों के प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसी प्रकार अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण के द्वारा एवं वरिष्ठ अध्यापकों के उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश आयुक्त, लोक शिक्षण के द्वारा जारी किये जाने है।

वर्तमान में जिला स्तरीय पात्रता समिति की बैठक का आयोजन कर अध्यापक संवर्ग में कार्यरत लोक सेवकों के अभिलेखों के आधार पर नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता का निर्धारण कर नियुक्ति हेतु अपात्र पाये गये या लंबित रखे गये प्रकरणों में दावा आपत्ति आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। दावा आपत्ति प्राप्त करने के उपरान्त जिला स्तरीय पात्रता समिति को प्राप्त आपत्ति पर विचार कर उनका विनिश्चय किया जाकर अंतिम रूप से नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्र अध्यापकों की संवर्गवार सूची तैयार करने की कार्यवाही दिनांक 24.09.2018 तक की जायेगी।

अंतिम रूप से पात्र/अपात्र/लंबित पाये गये प्रकरणों की अध्यापकवार पात्रता निर्धारण की प्रविष्टि पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। तद्उपरान्त अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की सूची उनके नियुक्तिकर्ता अधिकारियों के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी को उक्त सूची का प्रिंट आउट निकालना तथा

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय समिति द्वारा हस्ताक्षरित सूची एवं अध्यापकवार मूल नस्ती से मिलान कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया जायेगा तद्उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों के आदेश जनरेट करने की कार्यवाही संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन की जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अध्यापकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जो वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक शाला में पदस्थ न होकर किसी अन्य संस्था/जिले/कार्यालय में कार्यरत है, उनके आदेश जारी नहीं किये जायेंगे क्योकि वर्तमान में उनका वेतन भुगतान प्रतिनियुक्ति वाली संस्था से हो रहा है जबकि नवीन नियुक्ति आदेश में उनकी मूल संस्था अंकित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे अध्यापकों की मूल संस्था की जानकारी को पोर्टल में अपडेट करने की कार्यवाही की प्रक्रिया शीघ्र ही आपको भेजी जायेगी तद्नुसार अपडेशन किया जाकर नियुक्ति आदेश सक्षम स्तर पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जा सकेगें।

नवीन संवर्ग में नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया :–

प्रायः देखा जा रहा है की वर्तमान में चल रही प्रक्रिया में कई स्टेप होने के बाद भी त्रुटी हो जाती है। नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही हो इसके लिए आवश्यक निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जा रहे है इनका पालन अनिवार्यतः किया जाए और ध्यान रहे किसी भी प्रकार की त्रुटी को गभीरता से लिया जायेगा।

1. आदेश जारी करने की प्रक्रिया में प्रत्येक अध्यापक की यूनिक id और सत्यापन प्रपत्र में अंकित वेरिफिशेकन कोड दर्ज करना अनिवार्य होगा तभी संबधित का आदेश जनरेट हो सकेंगा।
2. सभी पात्र अध्यापकों की व्यक्तिगत फाइल्स को ठीक से चेक कर लें उसमे सभी आवश्यक दस्तावेज क्रम से संलग्न हो और सबसे प्रथम पृष्ठ पर सत्यापन प्रपत्र को कोड युक्त प्रति अवश्य संलग्न हो।
3. यदि आपके द्वारा सिस्टम पर कोई अध्यापक त्रुटिवश पात्र प्रविष्ट कर दिया गया है और आपको लगता है की उसका आदेश जारी नहीं करना है तो तत्काल उसकी व्यक्तिगत नस्ती को पृथक कर अपनी अलमारी में सुरक्षित रखें ताकि वेरिफिकेशन कोड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में त्रुटि से उसका आदेश जनरेट न हो जाए।
4. किसी भी स्थिति में जब आप आदेश जारी करने की प्रक्रिया पोर्टल पर कर रहे हों तब कोई भी ऐसी नस्ती कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले के सामने नहीं होना चाहिए जिसको की रोका जाना है अन्यथा त्रुटिवश उसका आदेश जनरेट होने की संभावना रहेगी।
5. यह सर्वथा ध्यान रखना होगा की कोई भी त्रुटी इस कार्य में नही होनी है।
6. आदेश जारी करने की प्रक्रिया करते समय जिला शिक्षा अधिकारी/संयुक्त संचालक को अपने यूजर पासवर्ड का उपयोग करना होगा। कार्य अत्यंत संवेदनशील है अतः बेहतर होगा कि कम्प्यूटर पर अपने समक्ष ही यूजर पासवर्ड की प्रविष्टि कर कार्य सम्पन्न कराएं और यह सुनिश्चित करें कि ये गोपनीय यूजर पासवर्ड किसी के हाथ न लगे।
7. एजुकेशन पोर्टल से लॉगइन करने के पश्चात TAMS module अंतर्गत आदेश जनरेट करने के ऑपशन को चुनेगे और व्यक्तिगत नस्ती पर अंकित अध्यापक का यूनिक id और

वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करेंगे इसके पश्चात संबधित का नाम आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा जिसे आपके द्वारा सेव कर आदेश जनरेट करने के लिए रिकमंड किया जायेगा जैसे ही आप सेव करते जायेंगे वैसे ही वह नाम आदेश के प्रारूप में सम्मिलित होता जायेगा इस प्रकार आप सभी पात्र व्यक्तियों के आदेश जारी करना रिकमंड करेंगे।

8. इसके पश्चात आदेश को देखे का ऑप्शन प्राप्त होगा जिससे आप सूची अनुसार प्रिंट प्राप्त कर समक्ष अधिकारी से अनुमोदन लेगे। अनुमोदन उपरांत नोटशीट पर जो पात्र अभ्यार्थी है उन्ही के आदेश में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कर आदेश प्रिंट करें। याद रहे डिजिटल हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नही हो सकेगा।
9. शीघ्र ही विस्तृत मैन्युअल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
10. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अभ्यार्थियों के आदेश जारी किये जने की प्रक्रिया से दिनांक 03.10.2018 तक अवगत कराया जायेगा। ध्यान रहे कि किसी भी अध्यापक का नवीन संवर्ग में नियुक्ति आदेश शाला (संकुल) के अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्था के लिये जारी नही किया जायेगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(डी.एस.कुशवाह)
अपर संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./पी.ए./अपर संचालक/वि.सेल/अ.प्रको/2018/92
भोपाल, दिनॉक 24/9/2018

प्रतिलिपि –

1/ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2/ समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
3/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।

अपर संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश